न्यायालय अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कम–6
जयपुर महानगर–द्वितीय (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – इन्द्रजीत पंवार, RJS
आपराधिक नियमित मुकदमा नम्बर–1176/2022
सी.आई.एस. नंबर–**47293/2022**
निर्णय दिनांक 17.07.2023

Pags 1

राजस्थान राज्य .... अभियोगी

बनाम

1. मोहसीन पुत्र श्री मोहम्मद फयाज उम्र 35 साल
2. मोहम्मद फय्याज पुत्र श्री गफूर खां उम्र 66 साल,
3. शाहरूख खान पुत्र श्री अब्दुल वाहिद उम्र 28 साल,
4. मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद फय्याज, उम्र 41 साल,
5. मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद फय्याज, उम्र 37 साल,
6. सोहेल पुत्र श्री अब्दुल वाहिद, उम्र 20 साल
   निवासीयान मकान नं. 3255, कांच की छबील, मोहल्ला महावतान, चौकड़ी तोपखाना हजुरी थाना रामगंज जयपुर।
7. अब्दुल्ला खां पुत्र श्री अब्दुल सलाम, उम्र 34 साल, निवासी मकान नं. 3256, कांच की छबील, चौकड़ी तोपखाना हजुरी थाना रामगंज जयपुर।

.... अभियुक्तगण।

उपस्थिति :-

1. राजस्थान राज्य की ओर से – विद्वान अभियोजन अधिकारी
2. अभियुक्तगण की ओर से – श्री फिरोज हुसैन, विद्वान अधिवक्ता।
3. परिवादिया की ओर से – श्री मेहराज खान, विद्वान अधिवक्ता

अपराध U/S 143, 323, 341, 336, 354, 427 एवं 325 भारतीय दण्ड संहिता

निर्णय
दिनांक 17.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.03.2022 को परिवादिया कुमारी पारो मय मासी के लड़के श्री रासिद के उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 18.03.2022 को समय लगभग 10.30 पीएम पर अपनी खाला के यहां से दावत खाकर लौट रही थी उसी समय रास्ते में सोहेल ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ की व हाथ पकड़ लिया। जब वह चिल्लाई तो सोहेल के साथी आसिफ, मोहसिन, अनवर, रफीक, शाहरूख, अब्दुल फय्याज, आरिफ, फैसल आये और उसके व उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी व पत्थरबाजी शुरू कर दी, बिजली का मीटर तोड़ दिया। सोहेल, मोहसिन ने भाई राशिद के सर पर लोहे की रॉड मार दी व उसके पैर का नाखून सोहेल द्वारा चोट के कारण हट गया........आदि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. नम्बर–149/2022 अंतर्गत धारा 143, 341, 323, 354, 336, 427, 34 भा0दं0सं0 में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान आरोप पत्र अभियुक्तगण मोहसीन, मोहम्मद फय्याज, शाहरूख खान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद रफीक, अब्दुल्ला खां के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 336, 427 एवं 325 भा0दं0सं0 में एवं अभियुक्त सोहेल के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 336, 354, 427 एवं 325 भा0दं0सं0 न्यायालय में पेश किया।

---

3. आरोप पत्र पेश होने पर अभियुक्तगण को आरोप पत्र की नकल दिलवाई गई तथा अभियुक्तगण मोहसीन, मोहम्मद फय्याज, शाहरूख खान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद रफीक, अब्दुल्ला खां के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 336, 427 एवं 325 भा0दं0सं0 में एवं अभियुक्त सोहेल के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 336, 354, 427 एवं 325 भा0दं0सं0 का अपराध प्रथमदृष्टया पाये जाने पर उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर आपराधिक प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्तगण मोहसीन, मोहम्मद फय्याज, शाहरूख खान, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद रफीक, अब्दुल्ला खां के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 336, 427 एवं 325 भा0दं0सं0 में एवं अभियुक्त सोहेल के विरूद्ध धारा 143, 323, 341, 336, 354, 427 एवं 325 भा0दं0सं0 का आरोप बनना पाये जाने पर आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर पत्रावली साक्ष्य अभियोजन में नियत की गई।

5. दौराने अन्वीक्षा मुस्तगीस पक्ष/मजरूबान ने अभियुक्तगण के साथ धारा 323, 341, 325 एवं 427 भा0दं0सं0 के तहत राजीनामा का प्रा0पत्र प्रस्तुत किया, जो बाद अनुमति राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को आरोपित उक्त अपराध धारा 323, 341, 325 एवं 427 भा0दं0सं0 से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त किया गया, शेष धारा 143, 354, 336 भा0दं0स0 विचारणीय रही।

6. दौराने साक्ष्य, अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू–1 पारो, पी. डब्ल्यू–2 राशिद, पी.डब्ल्यू. 3 मो. इजराईल, पी.डब्लयू. 4 रियाजुद्दीन, पी. डब्लयू. 5 मो. कय्यूम एवं पी.डब्लयू. 6 खालिद को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चॉक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी–2, नक्शा मौका प्रदर्श पी–3, पारो का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4, बयान अं. धारा 164 द0प्र0सं0 पारो प्रदर्श पी–5, पुलिस बयान पारो प्रदर्श पी–6, चोट प्रतिवेदन राशिद पी–7, मो. इजराईल के पुलिस बयान प्रदर्श पी–8, रियाजुद्दीन के पुलिस बयान प्रदर्श पी–9, मो. कय्यूम के पुलिस बयान प्रदर्श पी–10 एवं खालिद के पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 को प्रदर्शित कराया गया तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए अभियोजन साक्ष्य बंद किये जाने का निवेदन किया, जिस पर साक्ष्य अभियोजन बंद की गई।

7. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लेखबद्ध किये गये जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

इन्द्रजीत पंवार, RJS

8. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन रहा है, अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहान में किसी भी गवाह ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। सभी गवाहान पक्षद्रोही रहे हैं। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है, तथा स्वयं परिवादी एवं अन्य गवाह ने अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् कथन किये हैं। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली में कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण उन्हें आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

10. न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुना, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय प्रश्न हैः–

> "आया अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर जो संख्या में 5 से अधिक थे, द्वारा दिनांक 18.03.2022 को रात्रि करीब 10.30 बजे परिवादी पक्ष के साथ कांच की छबील महावतों का मोहल्ला थाना रामगंज जयपुर पर हाथों में सरिया, लोहे की रॉड लेकर परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करने के आशय से विधि विरूद्ध जमाव का गठन करते हुए दंगा कारित किया तथा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी पक्ष पर पत्थर फेंककर मानव जीवन को संकटापन्न किया तथा परिवादिया की लज्जाभंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर उसका हाथ पकड़ लिया, गालियां दी तथा उसके सीने पर हाथ मारा व उसे खींचकर उसकी लज्जाभंग करने का कृत्य किया?
>
> यदि ऐसा है तो वह उक्त अपराध के लिए किस दण्ड से दंडित होने योग्य है?

11. अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को साबित करने के लिए कुल छः गवाहान को परीक्षित कराया गया है, जिनमें गवाह पी.डब्ल्यू–1 पारो जो कि प्रकरण की परिवादिया है, ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 18. 03.2022 को रात के करीब 10.30 बजे उसकी खाला रूकसाना के घर से दावत खाकर लौट रही थी। तब वहां पर सोहेल, मोहसीन, फैय्याज तथा खालिद, रियाजुद्दीन व कय्यूम के बीच में उनके आपसी बातों को लेकर झगड़ा हो गया और मारपीट शुरू हो गई। उसने बीच–बचाव किया तो उसके चोट आ गई। उसने गलतफहमी में इस घटना की एफआईआर दर्ज

करवा दी। उसके साथ सोहेल ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, न ही उससे नंबर मांगे। घटना में तीन लोग शामिल थे, न ही घटना में किसी भी प्रकार की कोई पत्थरबाजी हुई है। जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, चॉक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी–2, नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 एवं चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–4 है, उसके धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्श पी–5, पुलिस बयान प्रदर्श पी–6 उक्त फर्दों पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उनके द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी की जिरह में भी आरोपित अपराधों के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, न ही अपने पुलिस बयानों का समर्थन किया है। तथा इस गवाह स्वयं परिवादी के बयानों से अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं होती है।

12. इसी तरह से अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू–2 राशिद भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने घटना की दिनांक 18.03.2022 को रात के करीब 10.30 बजे रूकसाना के घर से दावत खाकर लौट रही थी। वहां पर सोहेल, मोहसीन, फैय्याज तथा खालिद, रियाजुद्दीन व कय्यूम के बीच में उनके आपसी बातों को लेकर झगड़ा हो गया और मारपीट शुरू हो गई। उसने बीच–बचाव किया तो उसके चोट आ गई। घटना में तीन लोग शामिल होना, घटना में किसी भी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं होना, दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा होना एवं परिवादीपक्ष द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् कथन करते हुए आरोपित अपराधों के संबंध में पूर्णतया मौन रहे हैं तथा उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा उसके द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी की जिरह में भी आरोपित अपराधों के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। तथा इन गवाहान के कथनों से भी अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं होती है।

13. इसी तरह से अन्य शेष गवाहान भी अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा उक्त सभी गवाहान ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की जानकारी होने से इंकार किया है। इस प्रकार इन गवाहान के कथनों से भी अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं होती है।

14. उक्त सभी गवाहान के बयानों का विस्तृत विश्लेषण करें तो स्वयं परिवादिया गवाह पी0ड01 तथा अन्य किसी भी गवाह ने मारपीट करने वाले लोगों में व घटना में पांच लोगों का शामिल होने की तथा उक्त घटना में पथराव होने के संबंध में एवं परिवादिया की लज्जा भंग करने के संबंध में लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं दी है एवं परिवादिया के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों का समर्थन नहीं किया है एवं उक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से

इंकार किया है। सभी गवाहान ने दोनों पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने तथा प्रकरण में वे कोई कार्यवाही नहीं चाहते आदि कथन कर आरोपित अपराधों के संबंध में पूर्णतया पक्षद्रोही रहे हैं इस प्रकार किसी भी गवाह द्वारा धारा 143, 336 एवं 354 भा0दं0सं0 के अपराध के तत्वों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। किसी भी गवाहान द्वारा पत्थर फेंककर मानव जीवन को संकटापन्न किया गया हो तथा उक्त मारपीट में पांच या उससे अधिक व्यक्ति सम्मिलित रहे हों एवं अभियुक्त सोहेल द्वारा परिवादिया की लज्जा भंग करने का प्रयास किया हो, इस संबंध में पूर्णतया मौन रहे हैं तथा आरोपित अपराध के संबंध में पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। तथा गवाहान ने विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई भी कथन नहीं किया है, जिससे कि अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 143, 336 भा0दं0सं0 में तथा अभियुक्त सोहेल को धारा 143, 336 व 354 भा0दं0सं0 में संलिप्त किया जा सके। अतः साक्ष्य के अभाव में हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण आरोपित अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

15. अतः अभियुक्तगण 1–मोहसीन पुत्र श्री मोहम्मद फयाज उम्र 35 साल, 2. मोहम्मद फय्याज पुत्र श्री गफूर खां उम्र 66 साल, 3. शाहरूख खान पुत्र श्री अब्दुल वाहिद उम्र 28 साल, 4. मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मोहम्मद फय्याज, उम्र 41 साल, 5. मोहम्मद रफीक पुत्र श्री मोहम्मद फय्याज, उम्र 37 साल, 6. सोहेल पुत्र श्री अब्दुल वाहिद, उम्र 20 साल निवासीयान मकान नं. 3255, कांच की छबील, मोहल्ला महावतान, चौकड़ी तोपखाना हजुरी थाना रामगंज जयपुर 7.अब्दुल्ला खां पुत्र श्री अब्दुल सलाम, उम्र 34 साल, निवासी मकान नं. 3256, कांच की छबील, चौकड़ी तोपखाना हजुरी थाना रामगंज जयपुर को धारा 323, 341, 325 एवं 427 भा0दं0सं0 के आरोप से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त तथा अभियुक्तगण को धारा 143, 336 भा0दं0सं0 के आरोपित अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त तथा अभियुक्त सोहेल को धारा 143, 336 एवं 354 भा.दं.सं. के आरोपित अपराध में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घ ाोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत हाजरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(इन्द्रजीत पंवार)
अति0 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कम–6,
जयपुर महानगर–द्वितीय।

15. निर्णय व आदेश आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्रजीत पंवार)

इन्द्रजीत पंवार, RJS

<u>**न्यायालय मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कम–6**</u>
<u>**जयपुर महानगर–द्वितीय (राजस्थान)**</u>
पीठासीन अधिकारी – इन्द्रजीत पंवार, RJS
आपराधिक नियमित मुकदमा नम्बर–1176/2022
सी.आई.एस. नंबर–**47293/2022**
निर्णय दिनांक 17.07.2023
Pags 6

अति0 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कम–6,
जयपुर महानगर–द्वितीय।

इन्द्रजीत पंवार, RJS